भागीरथ बनाम मायादेवी आदि
प्रकरण संख्या 18/2025 अन्तर्गत धारा 251क आरटीएक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
17.06.2025	पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरिकैन उपस्थित। रिपोर्ट तहसीलदार प्राप्त हुई। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से जाहिर होता है कि प्रार्थी को अपने खेत में आवागमन हेतु कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 आपसी सहमति से रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है। अतः प्रार्थी व अप्रार्थी की आपसी सहमति व तहसीलदार की रिपोर्ट आदि के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार करते हुऐ अप्रार्थी सं. 1 की भूमि चक 1 जेडडब्ल्यूएम के प.नं. 133/388(100) कि.नं. 19/1 के उतरी पासा पर पूर्व से पश्चिम लम्बाई व 16½ फुट चौड़ाई भूमि को गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के तथा रास्ता में आई भूमि के बदले प्रार्थी की भूमि चक 1 जेडडब्ल्यूएम के प.नं. 133/388(100) के कि.नं. 20 की भूमि अप्रार्थी के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार को पत्र जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.06.30 15:45:51 IST
Reason: SelfAttested